

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला मुरैना म0प्र0

क्रमांक/भू-अर्जन/मु0 वितरण/कब्जा/रेलवे/2019

13962
27-11-19

दिनांक 27.11.19

प्रति,

अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी
(नोडल अधिकारी भू-अर्जन पी0डी0 खाता)
अनुविभाग-मुरैना

विषय- रेल परियोजना (ग्वालियर से श्योपुर छोटी लाइन से बड़ी लाइन अमान परिवर्तन) अन्तर्गत अवार्ड पारित प्रकरणों में मुआवजा वितरण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत रेल परियोजना (ग्वालियर से श्योपुर छोटी लाइन से बड़ी लाइन अमान परिवर्तन) हेतु भू-अधिग्रहण के अन्तर्गत अनुभाग मुरैना के ग्राम जैतपुर नूराबाद किता 07 रकवा 0.200 में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के अंतर्गत दिनांक 25.11.2019 को अधिनिर्णय (अवार्ड) पारित किया गया है। पारित अधिनिर्णय, गणना पत्रक पार्ट अ एवं ब की छायाप्रति आपकी ओर भेजकर लेख है कि गणना पत्रक अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के बैंक खाते, आई.एफ.सी. कोड नम्बर, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी मुरैना एवं तहसीलदार बामौर से प्राप्त कर भू-अर्जन अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियत अवधि में मुआवजा वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

K Pandey

प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन

जिला मुरैना (म0प्र0)

प्रतिलिपि- 13962
27-11-19

- 1- अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी मुरैना की ओर पारित अवार्ड अनुसार प्रभावित व्यक्तियों की बैंक खातों आदि की जानकारी हेतु तहसीलदार बामौर को निर्देशित करे।
- 2- तहसीलदार बामौर की ओर पारित अवार्ड अनुसार प्रभावित व्यक्तियों की बैंक खातों आदि की जानकारी अनुविभागीय मुरैना के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी एवं (नोडल अधिकारी भू-अर्जन पी0डी0 खाता) अनुविभाग-मुरैना को तत्काल उपलब्ध करावे। साथ ही अधिग्रहित भूमि का कब्जा सम्बंधित विभाग को सौंपे एवं राजस्व अभिलेख में अमल करावे।
- 3- उप मुख्य इंजीनियर निर्माण उ0म0 रेलवे की ओर अपने अधीनस्थ (लाइजनिंग अधिकारी भू-अर्जन) को मुआवजा वितरण में सहयोग एवं अधिग्रहित भूमि के कब्जा हेतु भू-अर्जन लाइजनिंग अधिकारी रेलवे को निर्देशित करने का कष्ट करे।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन आई सी मुरैना की ओर पारित अधिनिर्णय की छायाप्रति भेजकर लेख है कि कलेक्टर जिला मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

K Pandey

प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन

जिला मुरैना (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी जिला मुरैना

प्रो.क्र० १९/१८-१९ अ ८२

उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण)

उत्तर मध्य रेलवे, ग्वालियर आवेदक

बनाम

प्रीतम विशाल ऊंकार पि. गोपाल मु० रेवती वेद्या गोपाल आदि एवं
(अन्य प्रभावित हितग्राही ग्राम जैतपुर नूराबाद) अनावेदक

अधिनिर्णय (पारित दिनांक २९/११/१९)

आवेदक उपमुख्य इन्जीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेलवे, ग्वालियर द्वारा ग्वालियर श्योपुरकलों छोटी लाइन से बड़ी लाइन में अमान परिवर्तन के अंतर्गत ग्राम जैतपुर नूराबाद की अशासकीय भूमि के आपातिक स्थाई अर्जन वावत् प्रस्ताव पत्र दिनांक // से प्रस्तुत कर ग्राम की अधोलिखित भूमि अर्जित किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

क्र	सर्वे न.	रकबा
1	274/1	
2	274/2	0.019 ✓
3	274/3	
4	275/1	0.024 ✓
5	275/2	0.052 ✓
6	275/3	0.08 ✓
7	277	0.025 ✓
	कुल किता 07	0.200 ✓

1. उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। सर्वे न० 275/2 का रकबा 0.055 हे० प्रस्तावित किया है जिनका वास्तविक रकबा 0.052 होने से अवार्ड में सम्मिलित किया है

2. भूमि अर्जन, पुनर्बासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे आगे भू अर्जन अधिनियम 2013 कहा जायेगा) धारा 11 के तहत प्रारम्भिक प्रकाशन दिनांक 12.02.2019 को जारी किया गया जो म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 22.03.19 के पृष्ठ क्रमांक 1930 से 1931 में प्रकाशित हुआ कार्यालय उप तहसील जौरा में दिनांक 13.02.19 नगर परिषद जौरा के सूचना पटल पर दिनांक 14.02.19 भू अर्जन अधिकारी मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 15.02.19 उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक 16.02.19 को चर्चा की गई निष्पत्ती अर्जि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई।

3. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के तहत अधिसूचना कार्यालय कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी मुरैना के पत्र दिनांक 26.07.19 से जारी हुयी जो म.प्र. राजपत्र में दिनांक 16.08.19 को राजपत्र के प्रथम क्रमांक 6500 से 6501 पर प्रकाशित हुआ एवं समाचार पत्र मध्यराज्य में दिनांक 05.08.19 नगर परिषद

के सूचना पटल पर दिनांक 26.07.19 को तहसील बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 28.07.19 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जौरा 27.07.19 कलेक्टर मुरैना 28.07.19 उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक 28.07.19 चस्पा कर प्रकाशित की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

4. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 27.09.19 जारी किया गया कलेक्टर मुरैना के पोर्टल पर सूचनार्थ दिनांक 28.09.19 को अपलोड किया गया जिसमें दिनांक 27.10.2019 तक हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां प्रस्तुत करने को समय दिया गया। नगर परिषद बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 29.09.19 को तहसील बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 09.09.18 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना 28.09.19 कलेक्टर मुरैना 29.09.19 उप मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) ग्वालियर के सूचना पटल पर दिनांक 29.09.19 चस्पा कर प्रकाशित की गई।

5. भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 (2) के तहत भूमि स्वामियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिनांक 27/09/19 से जारी किये गये हितबद्ध पक्षकारों से दिनांक 27/10/19 तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए आहूत किया गया नियत अवधि में आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई

6. अधिनियम की धारा 26 के दिशा निर्देशों के तहत बाजार दर का निर्धारण किये जाने के लिए चालू गाइडलाइन के आधार पर बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया अतः गाईड लाइन वर्ष 2018-19 की दर अनुसार सिंचित भूमि की दर 10000000 रुपये प्रति हे. जिसके आधार पर मूल्यांकन पत्रक अ तैयार किया गया।

स. क्र	भूमिस्वामी का नाम	सर्वे नम्बर	अर्जित रकवा	कुल मुआवजा भूमि का बाजार मूल्य धारा 26 के अनुसार+तोषण + ब्याज+परिसम्पत्ति एवं उस पर तोषण
1	प्रीतम विशाल ऊंकार पि. गोपाल मु0 रेवती वेवा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	274/1 ✓		
2	मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि0 3/4 रामविलास गव्वर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअख्यार, मु0 विच्चो वेवा रामअख्यार सुनीता पुत्री रामअख्यार हि0 1/4 पता जैतपुर नूरावाद भूमिस्वामी।	274/2 ✓	0.019 ✓	395492 ✓
3	नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि0 1/2 स0 भा0 जाति गू0ठा0 पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।	274/3 ✓		
4	जानकी प्रसाद छोटेलाल जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0. 84	275/1 ✓	0.024 ✓	499568 ✓

5	कन्हईया दशरथ साहबसिंह कदमा सरदार पुत्रगण होतमसिंह 5/6 कन्हई दशरथ साहबसिंह कदमसिंह सरदार सिंह पुत्रगण होतमसिंह शीला पुत्री होतमसिंह समान भाग हि 1/6 दर भाग 1/2 कन्हईया पुत्र होतम सिंह हि 1/2 जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	275/2	0.052 ✓	1082398 ✓
6	हाकिम पुत्र गोधना रामबेटी शीला पुत्रियां गोधना समान भाग 1/2 नारायनसिंह बाबू पिता बन्शी भग्गो लाडो पुत्रियां बन्शी 4/5 मु0 प्रेमा बेवा रमेश कल्लू पुत्र रमेश 1/5 दर हि0 1/2 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भू-राजस्व 1.67	275/3	0.08 ✓	1665227 ✓
7	कुअरपाल, केशव, रामाचित्र, राजेन्द्र, आशाराम बलराम पिता प्रभू माया भूरी पुत्री प्रभू मुलिया बेवा प्रभू जाति बघेल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।	277	0.025 ✓	520384 ✓
कुल किता 07			0.200	4163068 ✓

7. अधिग्रहित भूमि में परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कर मूल्यांकन पत्रक ब तैयार कर संलग्न किया गया।

8. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत ग्राम जैतपुर नूराबाद की अर्जित की जा रही भूमि का कुल किता 07 व रकबा 0.200 है0 एवं भूमि से संलग्न अस्तियों की मुआवजा राशि निम्नानुसार परिगणित होती है। जो की अधिनिर्णय पारित करने हेतु प्रस्तुत हैं।

8.1 अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन (परिगणित) राशि

(अ). सिंचित भूमि 0.200 हे0 की रूपये 10000000 /-
प्रति हेक्टर की दर से मूल्यांकित राशि

2000000 /- ✓

8.2 . (ब). भू अर्जन अधिनियम की धारा 30 (3) के तहत संगणित राशि (ब्याज)

(धारा 11 के अंतिम प्रकाशन दिनांक 22.03.19 से दिनांक 25.11.19

तक 240 दिवस के लिए) का 12 प्रतिशत के मान से भूमि के मूल्य पर

163068 /- ✓

(स). धारा 30 (1) के तहत 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम राशि)

भूमि के मूल्य के समतुल्य

1000000 /-

8.3 योग (अ व स)

4163068 /- ✓

8.4 भूमि में सम्मिलित अस्तित्वों /परिसम्पत्तियों का मूल्य :-संबंधित विभाग द्वारा आंकलित मूल्य अनुसार

सम्पत्ति का प्रकार	संख्या	मूल्यांकन
निरंक	निरंक	निरंक

8.5 भूमि में सम्मिलित अस्तित्वों/परिसम्पत्तियों की कुल परिगणित राशि -

8.6 भूमि में सम्मिलित अस्तित्वों/परिसम्पत्तियों की कुल राशि के समतुल्य तोषण/ सोलेशियम राशि -

8.7 कुल योग बिन्दु क्रमांक (8.5) व (8.6) परिसम्पत्तियों का मूल्य एवं तोषण सहित कुल राशि -

8.8 कुल मुआवजा राशि(8.3&8.7)

4163068 /- ✓

8.9 कुल मुआवजा राशि पर प्रशासनिक शुल्क 2.5 प्रतिशत

104077 /- ✓

कुल अवाईड राशि(8.8&8.9)

4267145 /- ✓

कुल अवाईड राशि शब्दों में (ब्यालिस लाख सडसठ हजार एक सौ पेटालिस)

नोट:- व्यक्तिगत भूमि स्वामियों के अधिनिर्णय राशि से संबंधित पत्रक अ एवं ब प्रथक से संलग्न है। जो अधिनिर्णय का भाग है।

अनुविभागीय एवं भू अर्जन आधिकारी
जिला मुरैना


४६२०


22/11/19


कलेक्टर
जिला मुरैना

